



कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

स्वच्छ भारत मिशन



क्रमांक 02/र.शा./23-24

दिनांक 17/04/2023

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, नगर पालिक निगम, इन्दौर सीमा के अंतर्गत स्थित विभिन्न सेप्टिक टैंकों की सफाई (डी-स्लजिंग) कार्य के लिये पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत मेसर्स जी.जी. इंटरप्राइजेस प्रा.लि. इन्दौर को नियुक्त किया जाता है डी-स्लजिंग कार्य हेतु निम्नानुसार दरें निर्धारित की गई हैं:-

क्र.	कार्य का विवरण	स्वीकृत दर
1	शहर के रहवासी क्षेत्र में सेप्टिक टैंक की सफाई/डी-स्लजिंग करना। दर प्रति टैंकर (टैंकर की क्षमता 4000 ली.)	980/-
2	शहर के व्यावसायिक/औद्योगिक क्षेत्रों में प्रति सेप्टिक टैंक की सफाई/डी-स्लजिंग करना। दर प्रति टैंकर (टैंकर की क्षमता 4000 ली.)	1,550/-
3	शहर के रहवासी क्षेत्र में प्रति सेप्टिक टैंक की सफाई/डी-स्लजिंग करना। दर प्रति ट्रक माउण्टेड व्हीकल। (6000 ली.)	1,200/-
4	शहर के व्यावसायिक/औद्योगिक क्षेत्रों में प्रति सेप्टिक टैंक की सफाई/डी-स्लजिंग करना। दर प्रति ट्रक माउण्टेड व्हीकल। (6000 ली.)	1,880/-

उक्त सुविधा प्राप्त करने हेतु मोबाईल एप्प इन्दौर 311 पर अथवा मो.नं. 9826319847, 9303240661 पर मांग दर्ज करा सकते हैं। सैप्टिक टैंक का डी-स्लजिंग कार्य प्रत्येक 03 वर्ष की समयावधि में कराया जाना अनिवार्य है।

किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा अनाधिकृत व्यक्ति से सेप्टिक टैंक को खाली कराने एवं स्लज को खुले स्थान /नाले आदि में डाले जाने पर जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी एवं रु. 1,000/- से रु. 1.00 लाख तक का जुर्माना किया जा सकेगा।

हर्षिका सिंह
आयुक्त,
नगर पालिक निगम, इन्दौर